

**बिहार सरकार
भवन निर्माण विभाग**

का0आ0सं0- भवन/भू-सम्पदा-01-आवास-(राजपत्रित)-08/2025-

97

पटना, दिनांक-23.09.2025

'कार्यालय आदेश'

राजपत्रित आवास आवंटन समिति द्वारा लिए गए निर्णय के आलोक में पूर्वदेश को विखंडित करते हुए निम्नांकित राजपत्रित पदाधिकारी को पटना केन्द्रीय पूल से नियमानुसार आदेय किराया एवं करों के भुगतान की शर्त पर आवास आवंटित किया जाता है :-

क्र0	Reg No	पदाधिकारी का नाम/पदनाम	विभाग	आवंटित आवास
1.	GZ15900	सुश्री अंजली शर्मा, भा0प्र0से0, विशेष कार्य पदाधिकारी	समाज कल्याण विभाग	E3/103 गर्दनीबाग
2.	GZ5714	श्री पवन कुमार शुक्ला, अध्यक्ष, नगरपालिका भवन न्यायाधिकरण	नगर विकास एवं आवास विभाग	E3/104 गर्दनीबाग
3.	GZ15897	श्री अभिषेक आनंद, परियोजना पदाधिकारी- सह-अपर निदेशक	नगर विकास एवं आवास विभाग	D6/303 गर्दनीबाग
4.	GZ15872	श्री पंकज कुमार मिश्रा, पुलिस उपाधीक्षक, मद्यनिषेध	अपराध अनुसंधान विभाग	D6/603 गर्दनीबाग
5.	GZ13232	श्री सत्यकाम, वरीय पुलिस उपाधीक्षक	अपराध अनुसंधान विभाग	D6/604 गर्दनीबाग

- सरकारी आवास आवंटन (पटना केन्द्रीय पूल) नियमावली, 1986 के नियम-10 के अधीन आवंटी पदाधिकारी से अनुरोध है कि पत्र प्राप्ति के 30 दिनों के अन्दर अधोहस्ताक्षरी को सूचित करेंगे कि उन्हें आवंटित आवास स्वीकार है अथवा नहीं। यदि आवंटित आवास स्वीकार है तो उक्त अवधि के अन्दर आवास अधिग्रहण कर भवन निर्माण विभाग को तदनुसार सूचित करेंगे।
- नये आवंटी पदाधिकारी कार्यपालक अभियंता, गर्दनीबाग भवन प्रमण्डल (मो0नं0-9264293043) से सम्पर्क स्थापित कर आवंटित आवास का प्रभार लेकर उसकी सूचना अधोहस्ताक्षरी को देंगे।
- स्थानान्तरण या अन्य कारणों से पटना स्थित पात्र कार्यालय में पदस्थापन की अवधि समाप्त होने पर उनका आवंटन स्वतः रद्द समझा जाएगा और उनसे सरकारी आवास आवंटन (पटना केन्द्रीय पूल) नियमावली, 1986 के नियम-11(2) में विहित प्रावधानों के अनुसार मानक किराया/दण्ड किराया लिया जाएगा तथा नियमानुसार निष्कासन की कार्रवाई की जाएगी।
- पटना से बाहर स्थानान्तरण के उपरांत आवास दखल में रखने की अनुमान्य अवधि मात्र 1 (एक) माह है। उक्त अवधि के पश्चात मानक किराया का 30 गुना प्रति माह की दर से दण्ड किराया एवं मासिक मेंटेनेंस चार्ज वसूल किया जायेगा तथा निष्कासन की भी कार्रवाई की जायेगी।
- विभागीय आदेश सं0-3473, दिनांक-30.04.2024 के आलोक में गर्दनीबाग में नवनिर्मित बहुमंजिला आवासीय परिसर के कॉमन एरीया का साफ-सफाई, सुरक्षा व्यवस्था, लिफ्ट, डब्ल्यू0टी0पी0, एस0टी0पी0, जेनरेटर आदि का परिचालन में होने वाले व्यय को ध्यान में

रखकर मानक किराया के साथ अतिरिक्त मासिक मेंटेनेंस चार्ज भी लिया जायेगा जा निम्नवत है :-

क्र०	आवास का टाईप	मासिक मानक किराया	मासिक मेंटेनेंस चार्ज	प्रति आवास कुल मासिक कटौती
1.	ई-टाईप आवास, गर्दनीबाग	₹1290	₹1720	₹3010
2.	डी-टाईप आवास, गर्दनीबाग	₹936	₹1248	₹2184

- उपर्युक्त मासिक चार्ज को संबंधित आवासी के विभाग द्वारा प्रतिमाह मानक किराया के साथ ही वेतन से कटौती की जायेगी।
- सरकारी आवास संबंधी किसी भी विषय, विवाद या अनियमितता को आवास आवंटन (पटना केन्द्रीय पूल) नियमावली, 1986 के नियमों के अनुरूप निस्तारित किया जाएगा।
 - प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(शिव रंजन)

संयुक्त सचिव-सह-भू-सम्पदा पदाधिकारी

ज्वापांक:-भवन/भू-सम्पदा-01-आवास-(राजपत्रित)-08/2025-8863(भ) पटना, दिनांक:-23.09.2025

प्रतिलिपि:-माननीय मंत्री, भवन निर्माण विभाग के आप्त सचिव/सचिव के आप्त सचिव, भवन निर्माण विभाग/सभी संबंधित आवंटी पदाधिकारी/मुख्य अभियंता(पटना)/कार्यपालक अभियंता, गर्दनीबाग भवन प्रमण्डल/कार्यपालक अभियंता, कर प्रमण्डल/विद्युत कार्य प्रमण्डल सं०-1 एवं 03/कार्यपालक अभियंता, नई राजधानी प्रमण्डल (पेसू)/निदेशक (तकनीकी), एन. आई.सी./आई०टी० मैनेजर, भवन निर्माण विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

संयुक्त सचिव-सह-भू-सम्पदा पदाधिकारी।